

सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल भारत के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

प्रियदर्शनी

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, बुलंदशहर उ०प्र०

ईमेल: priyadrshnee2408@gmail.com

प्र० अलमाज जहां

राजनीति विज्ञान विभाग

डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज,

बुलंदशहर उ०प्र०

Reference to this paper should
be made as follows:

Received: 22-04-26

Approved: 29-06-26

प्रियदर्शनी

प्र० अलमाज जहां

सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल
भारत के माध्यम से महिला
सशक्तिकरण

Vol. XVII, Sp. Issue July.2026

Article No.06, Pg. 029-037

Similarity Check: 15%

Online available at

<https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-klsmm-mrt-july-2026>

DOI: <https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI07.006>

सारांश

डिजिटल तकनीक वर्तमान समय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन, वित्त, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में नई संभावनाएं उत्पन्न की हैं। महिलाओं के संदर्भ में डिजिटल समावेशन आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा के अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रभावी साधन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल साक्षरता अभियान, स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण तथा साइबर सुरक्षा पहलें महिलाओं को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक रही हैं। हालांकि डिजिटल लैंगिक विभाजन, डिजिटल साक्षरता का अभाव, साइबर अपराध और सामाजिक बाधाएं अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। अतः सुरक्षित, सुलभ और समावेशी डिजिटल वातावरण का निर्माण आवश्यक है। महिलाओं की सक्रिय डिजिटल भागीदारी से न केवल उनका सशक्तिकरण होगा, बल्कि भारत के समावेशी और सतत विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्य शब्द: डिजिटल भारत, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता।

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल तकनीक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, आर्थिक अवसरों के विस्तार और नागरिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 'डिजिटल इंडिया अभियान' प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी के नए अवसर प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए डिजिटल माध्यम सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और बाजार तक पहुंच का प्रभावी साधन बन सकता है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, ऑनलाइन उद्यमिता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं।

हालांकि, डिजिटल भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटल लैंगिक विभाजन (Digital Gender Divide) है। भारत में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक महिलाओं की पहुंच अभी भी पुरुषों की तुलना में सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव, आर्थिक असमानता, सामाजिक प्रतिबंध और साइबर अपराध जैसी समस्याएं महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल डिजिटल सेवाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी डिजिटल वातावरण आवश्यक है, जिसमें महिलाएं स्वतंत्र, सुरक्षित और प्रभावी रूप से तकनीक का उपयोग कर सकें।

वर्तमान समय में भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसी प्रकार यूपीआई (UPI) आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ने महिलाओं को नकदी पर निर्भरता कम करने और वित्तीय निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान किया है।

डिजिटल भारत की अवधारणा एवं समावेशी विकास का स्वरूप

डिजिटल भारत (Digital India) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। डिजिटल इंडिया का मूल दर्शन तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है— प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure as a Utility to Every Citizen), मांग आधारित शासन एवं सेवाएं (Governance and Services on Demand) तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizens)। इस पहल ने प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल भारत की अवधारणा केवल इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल अवसरों से जोड़ना है। समावेशी डिजिटल विकास का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, गरीबों, दिव्यांगों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को समान रूप से डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो। यदि डिजिटल सुविधाओं का लाभ केवल शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित रह जाता है, तो डिजिटल परिवर्तन सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा सकता है। इसलिए डिजिटल समावेशन को सामाजिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अवसंरचना का तीव्र विस्तार हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के प्रसार ने नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क को अधिक प्रभावी बनाया है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 90 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिससे भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल हो गया है। इसी प्रकार यूपीआई (Unified Payments Interface) ने डिजिटल वित्तीय लेन-देन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है और छोटे व्यापारियों तथा सामान्य नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिलाओं के संदर्भ में डिजिटल समावेशन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। डिजिटल तकनीक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण महिलाएं डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स माध्यमों के द्वारा अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। हालांकि, डिजिटल भारत के समक्ष डिजिटल लैंगिक अंतर एक गंभीर चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाएं अभी भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के प्रभावी उपयोग से वंचित हैं। डिजिटल उपकरणों की लागत, तकनीकी ज्ञान का अभाव और सामाजिक बाधाएं महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करती हैं। अतः सुरक्षित, सुलभ और महिला-केंद्रित डिजिटल नीतियों के माध्यम से ही डिजिटल भारत को वास्तविक रूप से समावेशी बनाया जा सकता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में डिजिटल तकनीक की भूमिका

डिजिटल तकनीक वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा तक पहुंच और निर्णय लेने की क्षमता कई बार सीमित रही है। डिजिटल माध्यमों ने इन बाधाओं को कम करने और महिलाओं को नए अवसर प्रदान करने का कार्य किया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सूचना तक पहुंच और सामाजिक भागीदारी के नए साधन उपलब्ध कराए हैं।

(क) आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन:

डिजिटल तकनीक ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई आधारित भुगतान प्रणालियों ने महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान की है। पहले जहां अनेक महिलाएं बैंकिंग सेवाओं से दूर थीं, वहीं अब डिजिटल वित्तीय सेवाओं के माध्यम से वे स्वयं अपने बैंक खातों का संचालन कर रही हैं और आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए करोड़ों बैंक खातों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इससे महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त हो रहा है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाली महिलाओं, घरेलू उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। महिलाएं अब अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजारों तक पहुंचा सकती हैं, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है।

(ख) शिक्षा एवं कौशल विकास में डिजिटल अवसर:

डिजिटल तकनीक ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न की हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, डिजिटल पाठ्य सामग्री और वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं घर से ही

शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्राप्त कर सकती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा ने भौगोलिक बाधाओं को कम किया है।

सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों, जैसे स्वयं (SWAYAM), दीक्षा (DIKSHA) और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे रोजगार के नए क्षेत्र खुले हैं और महिलाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही हैं।

(ग) सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण

डिजिटल माध्यम महिलाओं को सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकती हैं तथा विभिन्न जागरूकता अभियानों में भाग ले सकती हैं। डिजिटल माध्यमों ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की है।

राजनीतिक दृष्टि से भी डिजिटल तकनीक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, ई-गवर्नेंस सेवाएं और डिजिटल संवाद मंच महिलाओं को शासन प्रक्रिया से जोड़ते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रियता बढ़ती है।

(घ) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाया है। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सुविधाओं से विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

हालांकि, डिजिटल तकनीक के इन लाभों के साथ साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। इसलिए महिलाओं के वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल पहुंच के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा और साइबर जागरूकता भी आवश्यक है।

महिलाओं के डिजिटल समावेशन हेतु प्रमुख सरकारी पहलें

भारत में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, डिजिटल कौशल विकसित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाना है। डिजिटल समावेशन की सफलता केवल तकनीकी अवसंरचना के विस्तार से नहीं बल्कि महिलाओं की डिजिटल क्षमता, सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करने से संभव है।

(1) डिजिटल इंडिया अभियान

वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया डिजिटल इंडिया अभियान भारत के डिजिटल परिवर्तन की आधारभूत पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ना है। इस अभियान के अंतर्गत ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है।

महिलाओं के लिए डिजिटल इंडिया ने सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, डिजिटल बैंकिंग और सूचना प्राप्ति के अवसर बढ़ाए हैं। इससे महिलाओं की निर्भरता कम हुई है और वे सरकारी सेवाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर पा रही हैं।

(2) प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से

एक है। इसका शुभारंभ वर्ष 2014 में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना के माध्यम से गरीब और ग्रामीण वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया।

इस योजना के अंतर्गत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 55 प्रतिशत से अधिक रही है। जन धन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर JAM (Jan Dhan & Aadhaar & Mobile) त्रिमूर्ति विकसित की गई, जिसने सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में सहायता की। महिलाओं के लिए इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि बैंक खाता उन्हें आर्थिक पहचान, बचत की आदत और वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

(3) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल असमानता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल भुगतान के उपयोग में सक्षम बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर उन्हें स्मार्टफोन उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी डिजिटल सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई है। PMGDISHA ने ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल आत्मविश्वास प्रदान किया है, जिससे वे अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का बेहतर उपयोग कर रही हैं।

(4) स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का डिजिटल सशक्तिकरण

भारत में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दिनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY & NRLM) के माध्यम से लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ये समूह अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन विपणन के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता को नई दिशा मिली है। उदाहरण के रूप में, कई महिला समूह अब हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री और स्थानीय उत्पादों को डिजिटल माध्यमों द्वारा बेच रहे हैं। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

(5) डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम

महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने SWAYAM, DIKSHA, Skill India Digital Platform जैसे माध्यमों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए हैं।

इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महिलाएं डिजिटल कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। विशेष रूप से गृहिणियों, छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण ने सीखने के अवसरों का विस्तार किया है।

(6) महिला सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा पहलें

डिजिटल विस्तार के साथ महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर जागरूकता अभियान और डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूक बनाने में सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

(7) महिला उद्यमिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने महिलाओं को उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया आधारित व्यापार मॉडल के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसायों को बड़े बाजारों तक पहुंचा रही हैं। सरकारी पहल जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता कार्यक्रम डिजिटल माध्यमों के साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहायक हैं।

सुरक्षित डिजिटल भारत और महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा

डिजिटल भारत के विस्तार के साथ-साथ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरी है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जहां उन्हें अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं, वहीं साइबर अपराधों के नए रूप भी सामने आए हैं। महिलाओं का वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण तभी संभव है, जब उन्हें डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच के साथ-साथ ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर अधिकारों की जानकारी भी प्राप्त हो।

(क) महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराध

डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं से संबंधित साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। इनमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी (Identity Theft), फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, अश्लील सामग्री का दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी और व्यक्तिगत डेटा का अवैध उपयोग प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों के अनुसार भारत में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022 में देश में 65,893 साइबर अपराध दर्ज किए गए, जो डिजिटल निर्भरता और ऑनलाइन गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाते हैं। महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों में सोशल मीडिया आधारित अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न प्रमुख चुनौतियां हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और डिजिटल रूप से नए उपयोगकर्ताओं वाली महिलाओं में साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता का अभाव उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

(ख) डिजिटल सुरक्षा हेतु कानूनी एवं संस्थागत प्रयास

भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनी एवं संस्थागत उपाय किए हैं।

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)

यह भारत का प्रमुख साइबर कानून है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। इस अधिनियम में साइबर अपराधों, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह महिलाओं सहित सभी नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों की शिकायतों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की गई है।

(ग) साइबर सुरक्षा जागरूकता और डिजिटल साक्षरता

सुरक्षित डिजिटल भारत के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि नागरिकों में साइबर जागरूकता का विकास भी आवश्यक है। महिलाओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड, ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन में सावधानी, फर्जी लिंक और डिजिटल धोखाधड़ी की पहचान जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को यह समझाना जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल सुविधा के साधन नहीं बल्कि जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की मांग करने वाले माध्यम भी हैं।

(घ) सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए आवश्यक उपाय

महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं—

1. महिला केंद्रित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना।
3. भारतीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराना।
4. ऑनलाइन शिकायत तंत्र को अधिक सरल और प्रभावी बनाना।
5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।

महिलाओं के डिजिटल समावेशन में प्रमुख चुनौतियां

1. डिजिटल लैंगिक विभाजन— महिलाओं की इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच।
2. डिजिटल साक्षरता का अभाव— तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी।
3. आर्थिक बाधाएं— स्मार्टफोन व इंटरनेट की लागत अधिक होना।
4. ग्रामीण-शहरी अंतर— ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल अवसंरचना।
5. सामाजिक प्रतिबंध— परिवार एवं समाज की रूढ़िवादी सोच।
6. भाषाई बाधा— स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री की कमी।
7. साइबर अपराध— ऑनलाइन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का खतरा।
8. गोपनीयता की चिंता— व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की समस्या।

सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल भारत के लिए आवश्यक रणनीतियां

महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पहुंच, कौशल विकास और सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं—

1. डिजिटल साक्षरता का विस्तार— प्रत्येक महिला को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए।
2. सस्ती डिजिटल सुविधाएं— ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के लिए किफायती इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
3. स्थानीय भाषा आधारित सेवाएं— भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए।
4. साइबर सुरक्षा जागरूकता— महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति प्रशिक्षित किया जाए।
5. महिला डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा— ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से महिलाओं के रोजगार अवसर बढ़ाए जाएं।

6. ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना का विकास— दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए।
7. नीतिगत एवं कानूनी सुधार— साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु प्रभावी कानून और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाए।
8. महिला-केंद्रित डिजिटल नीतियां— डिजिटल योजनाओं में महिलाओं की आवश्यकताओं और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष

डिजिटल भारत आज केवल तकनीकी परिवर्तन की पहल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक व्यापक माध्यम बन चुका है। डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हुए उन्हें शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और शासन व्यवस्था से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं अब सूचना तक आसान पहुंच प्राप्त कर रही हैं, आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं और अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका को अधिक प्रभावी रूप से निभा रही हैं।

हालांकि, डिजिटल क्रांति के लाभों को सभी महिलाओं तक समान रूप से पहुंचाने के लिए डिजिटल लैंगिक विभाजन को समाप्त करना आवश्यक है। इंटरनेट तक सीमित पहुंच, डिजिटल साक्षरता का अभाव, आर्थिक बाधाएं, सामाजिक रुढ़ियां और साइबर अपराध जैसी चुनौतियां महिलाओं के पूर्ण डिजिटल सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए डिजिटल समावेशन को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा संबंधी पहलों ने महिलाओं को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता, डिजिटल पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया है।

भविष्य में सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ महिलाओं में डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा जागरूकता और डिजिटल अधिकारों की समझ विकसित की जाए। स्थानीय भाषा आधारित डिजिटल सेवाएं, महिला-केंद्रित डिजिटल नीतियां और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। अतः डिजिटल भारत की सफलता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब प्रत्येक महिला बिना किसी सामाजिक, आर्थिक या तकनीकी बाधा के डिजिटल संसाधनों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग कर सके। महिलाओं को डिजिटल विकास की सहभागी बनाकर ही भारत समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और महिला नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ

1. कुमार, राजेश (2020), "भारत में डिजिटल विभाजन और सामाजिक असमानता।" समाज विज्ञान समीक्षा, खंड-15, अंक-3, पृ0सं0-112-124।
2. गुप्ता, दीपक (2021), महिला सशक्तिकरण: मुद्दे एवं चुनौतियां। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन, पृ0सं0-180-198।
3. दुबे, श्यामाचरण (2018), भारतीय समाज: संरचना और परिवर्तन। नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृ0सं0-210-225।
4. नीति आयोग (2022), भारत में डिजिटल समावेशन और महिला सशक्तिकरण रिपोर्ट। नई दिल्ली: नीति आयोग, पृ0सं0-40-58।
5. भारत सरकार (2015), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: दृष्टिकोण एवं रणनीति दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना

- प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0-12-35।
6. भारत सरकार (2023), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0-1-25।
 7. भारत सरकार (2024), प्रधानमंत्री जन धन योजना: प्रगति रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0-10-22।
 8. मिश्रा, एन. एवं शर्मा, आर. (2019), डिजिटल भारत: संभावनाएं एवं चुनौतियां। नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, पृ0सं0-55-78।
 9. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) (2023), Crime in India Report 2022. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0-1020-1035।
 10. सच्चिदानंद, ए. के. (2020), सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय समाज। नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृ0सं0-75-92।
 11. शर्मा, सीमा (2021), "डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।" भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, खंड-12, अंक-2, पृ0सं0-45-56।
 12. शुक्ला, रचना (2023), "साइबर सुरक्षा और महिला अधिकार: समकालीन चुनौतियां।" भारतीय विधि एवं समाज अध्ययन पत्रिका, खंड-6, अंक-2, पृ0सं0-65-79।
 13. सिंह, योगेन्द्र (2017), आधुनिकता और भारतीय समाज। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ0सं0-145-162।
 14. वर्मा, कविता (2022), "डिजिटल समावेशन और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।" जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, खंड-8, अंक-1, पृ0सं0-88-101।